

16/5/25

आधिवक्ता अपीलान्त अनु! अपीलान्त अनु!  
 प्रकृत वर्ष 2014 से विचारधीन है, जिसे  
 अपीलान्त आधिवक्ता के रेस्पॉन्ड श्रेण्या 3 एवं  
 7 से 17 तक के समान प्रस्तुत करने के  
 पत्रों पर अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद  
 उनके द्वारा पालना आजादीं तक नहीं की  
 गई। इसके अतिरिक्त अपीलान्त एवं उनकी  
 ओर से नियुक्त आधिवक्ता प्रकरण में पेश्वी  
 हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। न्यायालय समय  
 में आधिवक्ता अपीलान्त एवं अपीलान्त के  
 बार-बार आवाजे लगाई गई लेकिन  
 उनकी ओर से कोई उपबन्ध नहीं आये।  
 अतः अपील अपीलान्त की अदम्य हाजरी  
 अदम्य पेश्वी एवं अदम्य तत्मील में  
 रवारिष की जाती है। पत्रावली फोनल शुक्र  
 होठर नम्बर से उम डोउर दायिल दफ्तर  
 हो।